उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-7/2018/355/तीन-2018-39(2)/12टीसी
लखनऊ: दिनांक:27 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-813/तीन-2017-39(2)/2016, दिनांक 10-11-2017 एवं विज्ञप्ति संख्या-363/तीन-2018-39(2)/12 टी0सी0 दिनांक 16-03-2018 द्वारा वर्ष 2018 हेतु घोषित अवकाशों में दिनांक 30-03-2018 एवं 31-03-2018 को क्रमशः गुड फ्राइडे एवं हजरत अली का जन्मदिन को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

2- वित्त विभाग के शासनादेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के संख्या-8/2018/ए-1-274/दस-2018-10(42)/2008, दिनांक 22-03-2018 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 की शक्तियों के तहत समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश एवं समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के कोषागारों के साथ-साथ प्रदेश में शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं के लिये उक्त तिथि दिनांक 30 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2018 को घोषित अवकाश निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः उक्त तिथियों को कोषागारों के साथ-साथ प्रदेश में शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखायें सामान्य कार्य दिवसों की भांति खुली रहेंगीं। संदर्भित प्रस्तर-1 में उल्लिखित इस विभाग की विज्ञप्तियां इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

डा0 ललित वर्मा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को उनके संदर्भित शासनादेश संख्या- 8/2018/ए-1-274/दस-2018-10(42)/2008, दिनांक 22-03-2018 के क्रम में।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/उ0प्र0।
5- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
6- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
13- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन।
14- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
15- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
16- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
17- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजनाभवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेबसाईट पर डालने हेतु।
18- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैक गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से
हरीराम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in